



2026:AHC-LKO:280-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील संख्या - 279/2024

अभिमन्यु प्रसाद

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल
 विकास विभाग, लखनऊ के माध्यम से और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: अभिषेक द्विवेदी, प्रदीप चंदोला
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.,

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय,

माननीय न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी,

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप चंदोला और राज्य-प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

2. यह अपील अपीलकर्ता **अभिमन्यु प्रसाद** ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियम, 1952 के अध्याय-VIII नियम 5 के तहत इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-ए संख्या 4631/2022 (अभिमन्यु प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में पारित 18.10.2022 के निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वाद के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि प्रतिवादियों द्वारा 07.11.2014 को वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक) ट्रेड में 'प्रशिक्षक' सहित विभिन्न पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने उसी के अनुसार विचार किए जाने के लिए आवेदन किया। उपरोक्त पद के लिए आवेदन करते समय, उसने अपनी योग्यता राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) बताई और इसे वेबसाइट पर अपलोड भी किया। यह बताना उचित होगा कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के पास दूसरी अनुमत योग्यता यानी राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र (एनटीसी) भी थी, हालांकि, चूंकि उसके पास एनटीसी में कम अंक थे, इसलिए उसने चयन और नियुक्ति के लिए एनएसी प्रमाणपत्र को चुना।

यह तथ्य कि उसके पास एनटीसी भी था, आवेदन पत्र में नहीं बताई जा सकी क्योंकि सभी योग्यताओं या एक से ज्यादा योग्यताओं को बताने के लिए कोई कॉलम नहीं था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि हालांकि, एक साक्षात्कार भी होना था, लेकिन योग्यता निर्धारित करने के लिए ऊपर बताई गई दो योग्यताओं में मिले अंकों को भी ध्यान में रखा जाना था और इसी वजह से अपीलकर्ता ने एनएसी प्रमाणपत्र को चुना जिसमें उसे ज्यादा अंक मिले थे।

साक्षात्कार के समय, उसके तीन साल के अनुभव का सवाल उठा, अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने साक्षात्कार समिति को एनटीसी की दूसरी योग्यता और उसके द्वारा अर्जित किए गए अनुभव के बारे में बताया, साथ ही आवेदन पत्र के साथ संलग्न अनुभव प्रमाणपत्रों के बारे में भी बताया, जैसा कि दावा किया गया था।

हालांकि, अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई कि उसने राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र को चुना था, इसलिए वह अपने अनुभव को केवल उक्त प्रमाणपत्र जारी होने के बाद ही गिन सकता था। एनएसी प्रमाणपत्र 25.09.2009 को जारी किया गया था और, उसके बाद, उसके पास केवल लगभग 01 साल, 10 महीने और 05 दिन का अनुभव था।

4. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि योग्यता और अनुभव दो अलग-अलग विषय थे। विज्ञापन में कोई शर्त नहीं थी और न ही संबंधित नियमों में संबंधित पद के लिए कोई शर्त है कि केवल वही अनुभव गिना जाएगा जो आवेदन पत्र में बताई गई योग्यता हासिल करने के बाद प्राप्त किया गया हो। उसका यह भी तर्क था कि अगर आवेदन फॉर्म में दोनों प्रमाणपत्र बताने और उन्हें अपलोड करने का कोई प्रावधान होता, तो वह ऐसा करता। श्री



चंदोला ने यह भी तर्क दिया कि वास्तव में एनएसी की योग्यता केवल एनटीसी की योग्यता प्राप्त करने के बाद ही हासिल की जा सकती है और पिछली योग्यता प्राप्त करने के बाद एक साथ अनुभव प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि इस मामले में किया गया था। अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को इस पहलू को समझाने का कोई अवसर नहीं दिया गया और विज्ञापन, नियमों या आवेदन पत्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जहाँ अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता इसे समझा सके।

5. उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने एनएसी को इसलिए चुना क्योंकि उसे उसमें ज़्यादा अंक मिले थे, नहीं तो एनटीसी में कम नंबर मिलने के कारण उसे विचार या चयन से बाहर किया जा सकता था।

6. यह भी कहा गया कि जब प्रतिवादियों ने स्वयं दो विकल्प या योग्यताएं दी थीं, तो अपीलकर्ता ने सबसे अच्छा विकल्प चुना। यह कहा गया कि जहां तक 3 साल और उससे ज़्यादा के अनुभव का सवाल है, उसे नियोक्ता द्वारा जारी आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्रों से पुष्ट किया गया था, जिसकी सत्यता पर प्रतिवादियों ने कोई संदेह नहीं किया है। अगर अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को यह बताया जाता कि वह तीन साल के अनुभव का दावा कैसे कर रहा है, जबकि उसने एनएसी की योग्यता केवल 25.09.2009 को प्राप्त की थी, तो वह 2007 में एनटीसी योग्यता प्राप्त करने और उस प्रमाण पत्र जारी होने के बाद प्राप्त अनुभव के बारे में बता देता। विज्ञापन या नियमों में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि केवल वही अनुभव गिना जाएगा जो अपीलकर्ता द्वारा भरोसा की जा रही योग्यता के बाद प्राप्त किया गया हो, इसलिए, प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता की उम्मीदवारी को गलत तरीके से खारिज कर दिया। माननीय एकल न्यायाधीश ने भी ऐसा ही किया।

7. यह भी बताया गया है कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने सरकारी सेवा में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा पार नहीं की है, जो विज्ञापन में बताए अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 40 वर्ष है।

8. अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हमारा ध्यान रिट याचिका के कुछ अनुच्छेद की ओर दिलाया है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (प्रशिक्षक) सेवा नियमावली, 2014 के नियम 16(1)3 के आधार पर एनटीसी, एनएसी और सीआईटीएस प्रमाण पत्रों के आधार पर मिलने वाले अंकों का उल्लेख किया है। उन्होंने हमारा ध्यान 05.12.2023 को अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे की ओर भी दिलाया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, जिसमें उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें दी गई जानकारी संलग्न की है, जिसमें उन्होंने जिस साक्षात्कार में भाग लिया था, उसमें प्राप्त अंकों का उल्लेख है। उक्त पूरक शपथपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़ सं. 1 के अनुसार, अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में 100 में से 48.4 अंक मिले थे और चूंकि अंतिम योग्यता की गणना के लिए इन अंकों का केवल 15% ही लिया जाना था, इसलिए ये 15% अंक 7.26 अंक हुए। उपरोक्त के आधार पर और अपीलकर्ता द्वारा दायर दस्तावेजों में दिए गए चयन के लिए न्यूनतम अर्हक अंकों के अनुसार, अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त हुए थे।

9. हालांकि, श्री आनंद सिंह ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए तर्क को दोहराया और यह प्रस्तुत किया कि केवल वही अनुभव गिना जाएगा जो निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के बाद हासिल किया गया हो। हालांकि, जब हमारे सामने ऐसी स्थिति आई, जिसमें अपीलकर्ता के पास दोनों योग्यताएं थीं, लेकिन उसने अपने द्वारा प्राप्त उच्च अंकों के कारण एनएसी को चुना और विज्ञापन या नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को ऐसा विकल्प चुनने से रोकता हो, और साथ ही इस तथ्य का सामना करने पर कि एनटीसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के पास तीन साल का अनुभव था, जिसकी सत्यता पर प्रतिवादियों ने तथ्यों के आधार पर कभी संदेह नहीं किया, श्री सिंह के पास अपने मामले के समर्थन में कोई तर्क नहीं था।

10. स्पष्ट रूप से, अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करना गलत लगता है। यदि प्रतिवादियों के मन में अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के अनुभव के संबंध में कोई संदेह था, तो वे उससे स्पष्टीकरण मांग सकते थे, जिसके बाद तथ्य स्पष्ट हो जाते।

11. अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति से संबंधित है। उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने और उसमें प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत प्रयास किया होगा। स्पष्ट रूप से, उसे अस्थिर आधारों पर उसकी नियुक्ति से वंचित किया गया है। योग्यता और अनुभव दो अलग-अलग विचार-विषय थे। निर्धारित कई योग्यताओं में से, उम्मीदवार किसी एक को चुन सकता था और अपीलकर्ता ने एनएसी को चुना क्योंकि उसने उसमें अधिक अंक प्राप्त किए थे, क्योंकि इस तरह प्राप्त अंकों का योग्यता निर्धारण पर असर पड़ेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि उसके द्वारा केवल एनएसी योग्यता प्राप्त करने के बाद प्राप्त अनुभव को ही माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा अनुभव अन्य योग्यताएं जैसे एनटीसी प्राप्त करने के



बाद भी मान्य था, जिसे अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने भी प्रस्तुत किया था। नियमों या विज्ञापन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें विपरीत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करे।

12. ऊपर की चर्चा को देखते हुए, हम संबंधित विरोधी पक्षों को निर्देश देते हैं कि वे नियमों के अनुसार अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता की योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर उसके द्वारा प्राप्त अंकों की गणना करें ताकि उसकी योग्यता निर्धारित की जा सके और, उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर, यदि यह पाया जाता है कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने अपनी श्रेणी यानी अनुसूचित जाति के तहत अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो यदि 07.11.2014 के विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पद अभी भी रिक्त हैं, तो अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को ऐसी रिक्ति के सापेक्ष विचार किया जाएगा और नियुक्ति की पेशकश की जाएगी, क्योंकि हमारी राय में यह पर्याप्त न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। भले ही विज्ञापित पद पहले ही भर दिए गए हों, विशुद्ध रूप से इस मामले के तथ्यों में, पर्याप्त न्याय करने के लिए, हमारी राय है कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता को किसी भी रिक्ति के लिए नियुक्ति हेतु विचार किया जाना चाहिए जो आज की दिनांक में मौजूद हो या जो अगले एक वर्ष के भीतर रिक्त हो सकती है।

13. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम इसके द्वारा दिनांक 18.10.2022 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को **अपास्त** करते हैं और अपील और रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों पर **स्वीकार** करते हैं।

(न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राँय)

05 जनवरी, 2026

प्रवीण